संख्या : 953/49-3-2012-100(9)/2012.

प्रेषक,

देवाशीष पण्डा,
सचिव,
उ.प्र. शासन।

सेवा में,

निबंधक
सहकारी समितियॉं, उ0प्र0
लखनऊ।

सहकारिता अनुभाग-3

लखनऊ : दिनांक : 30 अप्रैल 2012.

विषय :वर्ष 2012-13 में यूरिया एवं फास्फेटिक उर्वरकों के अग्रिम भण्डारण योजना के अंतर्गत हुये व्यय की प्रतिपूर्ति किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-1532/बीज उर्वरक/बी-237 दिनांक 19 मार्च, 2012 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त वर्ष 2012-13 में उर्वरकों की अग्रिम भण्डारण योजनान्तर्गत, भण्डार शुल्क, ब्याज एवं परिवहन पर व्यय धनराशि की प्रतिपूर्ति किये जाने के सम्बंध में निम्नवत् ब्यवस्था निर्धारित की जाती है:-

1- **ब्याज के सम्बन्ध में**

यूरिया एवं फास्फेटिक उर्वरकों की प्रीपोजिशनिंग योजना के अंतर्गत औसतन 6 माह की अवधि हेतु पी0सी0एफ0 को उनके द्वारा निवेश की गयी धनराशि पर देय ब्याज, जो 11.25 प्रतिशत से अनधिक होगा, की प्रतिपूर्ति शासन द्वारा की जायेगी। इस मद में अधिकतम रू0 44.31 करोड़ की धनराशि अनुमन्य होगी।

2- **भण्डारण शुल्क के सम्बन्ध में**

पीसीएफ को भंडारित फास्फेटिक उर्वरकों पर "भंडारण निगम से न्यूनतम संभव दरों पर" देय भंडारण शुल्क की प्रतिपूर्ति की जायेगी। इस मद में अधिकतम रू0 10.11 करोड़ की धनराशि अनुमन्य होगी।

3- **पी0सी0एफ0 बफर गोदाम से समितियों तक पूर्व भंडारित फास्फेटिक एवं यूरिया उर्वरक के परिवहन व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु अनुदान**

प्रीपोजीशनिंग व्यवस्था के अन्तर्गत पी0सी0एफ0 को आपूर्ति की गयीयूरिया एवं फास्फेटिक उर्वरक पर औसतन रू0 150/-प्रति मी0टन की

.....2/

दर से अथवा वास्तविक व्यय की धनराशि, जो भी कम हो, इस प्रतिबन्ध के साथ उपलब्ध करायी जायेगी कि उर्वरक का परिवहन जिलाधिकारी द्वारा स्वीकृत दर से अधिक नही हो। अतः 08 लाख मी0टन फास्फेटिक उर्वरक एवं 03 लाख यूरिया हेतु इस वर्ष इस मद में अधिकतम रू0 16.50 करोड़ की धनराशि अनुमन्य होगी।

4– पूर्व भंडारण योजना के अतिरिक्त प्रदेश को प्राप्त सामान्य यूरिया एवं फास्फेटिक के परिवहन व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु अनुदान ।

सामान्य उर्वरकों (17.40 लाख मै0टन यूरिया एवं 7.07 लाख मै0टन फास्फेटिक) के परिवहन पर प्रदायकर्ता से प्राप्त होने वाली धनराशि को कम करते हुये परिवहन पर हुए वास्तविक व्यय की औसत अंतर धनराशि अधिकतम रु0150.00 प्रति मै0टन की दर से अथवा वास्तविक व्यय की धनराशि जो भी कम हो, इस प्रतिबन्ध के साथ उपलब्ध करायी जायेगी कि उर्वरक का परिवहन जिलाधिकारी द्वारा स्वीकृत दर से अधिक नही हो। इस प्रयोजनार्थ उर्वरकों के परिवहन हेतु अधिकतम धनराशि रु0 36.70 करोड प्रतिपूर्ति हेतु अनुमन्य होगी।

5– पूर्व भंडारित उर्वरकों के विक्रय के समय मूल्यों में कमी हो जाने पर समितियों को संभावित क्षति की प्रतिपूर्ति हेतु अनुदान।

प्रदायकर्ताओं से क्रय की गयी पूर्वभंडारित उर्वरक के सम्बन्ध में भविष्य में इस स्थित की संभावना हो सकती है कि पूर्वभंडारित उर्वरकों के बिक्री मूल्यों में कमी हो जाए। चूँकि तब किसानों को घटे मूल्य पर ही उर्वरकों का वितरण सुनिश्चित कराना होगा जिसके परिणामस्वरुप संस्थाओं /सहकारी संस्थाओं को हानि उठानी पड़ेगी इसलिए संस्था/सहकारी समितियों को होने वाली इस संभावित हानि की प्रतिपूर्ति प्रदेश सरकार द्वारा की जायेगी। इसकी प्रथमतः प्रतिपूर्ति प्रस्तावित बजट की बचत की धनराशि से या बचत की अनुपलब्धता की दशा में अतिरिक्त मॉग के माध्यम से सुनिश्चित करायी जाएगी।

6– निबन्धक, सहकारी समितियॉ, उ0प्र0, लखनऊ एवं उ0प्र0 कोआपरेटिव फेडरेशन लि0, लखनऊ इन व्ययों के मद तथा व्ययों को बेहतर वित्तीय/प्रशासकीय प्रबन्धन से सीमित करने का प्रयास करेगें तथा बाजार व्यवस्था के कारको का गम्भीरता से अध्ययन कर प्रीपोजीशनिंग का निर्णय

.......3/

लेगें ताकि अनावश्यक व्यय न हो। साथ ही बैंकों से ऋण भी इस तरह नेगोसियेट करेगें कि यह ब्याज दर सीमित रहे।

7– यूरिया एवं फास्फेटिक उर्वरकों के अग्रिम भण्डारण पर ब्याज मद, भण्डारण मद, एवं परिवहन मद में व्यय होने वाली धनराशि की स्वीकृति वित्त विभाग की सहमति से प्रदान की जायेगी।

8– उक्त व्यय आय–व्ययक 2012–13 में उर्वरकों की अग्रिम भंडारण योजना के अंतर्गत उपलब्ध धनराशि से किया जायेगा ।

कृपया उपरोक्त आदेशों के अनुपालन में अपेक्षित आवश्यक कार्यवाही तत्परता से कराया जाना सुनिश्चित करें ।

भवदीय,

देवाशीष पण्डा
सचिव।

पृष्ठांकन संख्या : 953(1) /49–3–2012–तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– गोपन अनुभाग–1 को उनके अशासकीय पत्र संख्या–4/2/2/2012–सी0एक्स0(1), दिनांक 27 अप्रैल, 2012 के संदर्भ में ।
2– वित्त(व्यय–नियंत्रण) अनुभाग–2, उ0प्र0 शासन।
3– प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 कोआपरेटिव फेडरेशन लि0 लखनऊ।
4– वित्त नियंत्रक, सहकारी समितियॉ, उ.प्र. लखनऊ।
5– अपर निबंधक (कृषि–निवेश) सहकारी समितियॉ उ0प्र0 लखनऊ।
6– वेब मास्टर, कार्यालय निबंधक, सहकारी समितियॉ उ0प्र0 लखनऊ।
7– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(राकेश कुमार)
उप सचिव।